क्रम-संख्या–50 (ख)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 मार्च, 2017

चैत्र 6, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

संख्या 230 / 11–क०नि०-6–2017–एम(92) / 2009 टी0सी0

लखनऊ, 27 मार्च, 2017

अधिसूचना

प०आ०–79

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) की धारा 3–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 1315 / 11क0नि0-6–2013–एम(92) / 2009 दिनांक 28 नवम्बर, 2013 का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल आदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से किसी सिनेमा का मालिक सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु प्रति टिकट के मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर 8.00 रुपये का निम्नलिखित शर्तों के साथ उपयोग करेगा कि,–

(क) सिनेमा के मालिक को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु वसूल की गयी धनराशि का उपयोग उसके द्वारा पूर्णतः सिनेमा के अनुरक्षण के लिए कर लिया गया है;

(ख) यदि उसके द्वारा अनुरक्षण प्रभारों के रूप में वसूल की गयी धनराशि अप्रयुक्त या संतोषजनक रूप में प्रयुक्त नहीं पायी जाती है तो उससे सम्पूर्ण धनराशि वसूल की जायेगी।

आज्ञा से,
राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव।

4 RPH. Kar Evem N-Anu-6, DATA-8 2017

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 230/XI-Ka.Ni-6-2017-M(92)-2009 (TC), dated March 27, 2017:

No. 230/XI-Ka.Ni-6-2017-M(92)-2009 (TC)

Dated Lucknow, March 27, 2017

IN exercise of the powers under section 3-A of the Uttar Pradesh Entertainment and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government notification no. 1315/XI-Ka.Ni-6-2013-M(92)-2009, deted 28 November, 2013 the Governor is pleased to order that, with effect, from the date of publication in the *Gazette* proprietor of a cinema shall utilize Rs. 8.00 from the value of each ticket excluding Entertainment tax for the maintenance of cinema premises, with the conditions that,-

(a) the proprietor of the cinema shall within three months of the expiry of every financial year submit an affidavit of this intention to the District Magistrate that the amount realized for maintenance of the cinema premises has been fully utilized by his/her for the maintenance of the cinema;

(b) if the amount realized by him/her as the maintenance charges is found to be unutilized or not satisfactorily utilized the entire amount shall be realized from him/her.

By order,
RAJENDRA KUMAR TIWARI,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 4 राजपत्र (हि०)–2017–(15)–599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० कर एवं निबन्धन–2017–(16)–600 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।

4 RPH. Kar Evem N Anu-6, DATA-8 2017